

मांग संख्या 13  
मुख्य शीष 2401

**मद कमांक 1-2**

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 46.24 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 46,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 3**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत राज्य में एग्रीस्टेट परियोजना के विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रूपये 5.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 4**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत प्रदेश में किसानों के खेत पर नवविकसित कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय तथा उनके जीवंत प्रदर्शन किये जाने हेतु राशि रूपये 617 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 5**

स्प्रिंकलर तथा ड्रि प सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र में राज्यांश राशि के रूप में राशि रूपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः इस हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।